न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण [illegible]

प्रकरण सं0 : 62/2021

1. वेदप्रकाश पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
2. सत्यनारायण पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।

:— वादीगण

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र कानाराम, जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
2. देवी पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील सतवीर पूनिया : वादीगण
वकील श्री जगदीश महला : प्रतिवादीगण

निर्णय — दिनांक : 20.07.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा बोझला के खाता सं0 67/56 की खसरा सं0 1/2 की 4.4480है0 तथा 20/2 की 2.2890है0 कुल 6.737है0 बारानी खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादीगण के दादा काना की खातेदारी हुआ करती थी। काना से उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही विनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 की ओर से आपसी सहमति से रा[illegible] किया। राजीनामा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए व अपने पहचान पत्रों को [illegible]। उभयपक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तन[illegible] है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सत्यनारायण [illegible] नानूराम जाति मेघवाल [illegible] बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि ज[illegible] रोही जमावंदी चालू प्रदर्श 1, पुरानी जमावंदी बोझला प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:38:59 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम बोझला के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही जमाबंदी चालू प्रदर्श 1, पुरानी जमाबंदी बोझला प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिससे प्रदर्श 2 वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में नत्थूराम के वारिसान में 2 पुत्र वेदप्रकाश, सत्यनारायण व एक पुत्री देवी तथा इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। चुकिं प्रतिवादी सं 02 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं 01 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार योग्य होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा बोझला के खाता सं0 67/56 की खसरा सं0 1/2 की 4.4480है0 तथा 20/2 की 2.2890है0 कुल 6.737है0 बारानी खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **में** प्रतिवादी सं 01 नत्थूराम की बजाय वादीगण के साथ साथ प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं 02 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी स0 01 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 वेदप्रकाश वादी सं0 2 सत्यनारायण व प्रतिवादी सं0 01 नत्थूराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:38:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 67/2020
अनवान :
प्रकरण सं0 : 62/2021

1. वेदप्रकाश पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
2. सत्यनारायण पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।

:— **वादीगण**

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र कानाराम, जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
2. देवी पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सतवीर पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जगदीश प्रसाद महला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बोझला के खाता सं0 67/56 की खसरा सं0 1/2 की 4.4480है0 तथा 20/2 की 2.2890है0 कुल 6.737है0 बारानी खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं 01 नत्थूराम की बजाय वादीगण के साथ साथ प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं 02 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी स0 01 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 वेदप्रकाश वादी सं0 2 सत्यनारायण व प्रतिवादी सं0 01 नत्थूराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार [illegible] में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद [illegible]।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:38:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner